संख्या-1366 /18-4-2016-13(एसाइड)/15

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
उ0प्र0 लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त,2016

विषय: "उ0प्र0 निर्यात अवस्थापना विकास योजना-2016" प्रारम्भ किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 निर्यात नीति-2015-20 के प्राविधानों के क्रम में अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-138/एसाइड/1016/2016-17, दिनांक 13-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में एसाइड योजना डी-लिंक कर दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, कामन फैसिलिटी सेंटर जैसी परियोजनाओं को प्रारम्भ किये जाने तथा प्रदेश में निर्यात सम्वर्धन के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास एवं उच्च तकनीक को अपनाने तथा निर्यात परक उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" नाम से नई योजना प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। योजना की रूप रेखा निम्नवत् है :-

2- योजनान्तर्गत प्रदेश में निर्यातपरक कॉमन फैसिलिटी सेन्टर जैसी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्त पोषण किया जायेगा। योजनान्तर्गत एस.एल.ई.पी.सी. द्वारा पूर्व से बास्केट में अनुमोदित 15 परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा जिनमें सपोर्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फार ट्रेनिंग एण्ड स्किल मैनपावर फार इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री,लखनऊ, सी.एफ.सी. फार डिजाईन टूलिंग एण्ड प्रोटोटाईप डेवलपमेन्ट, कानपुर, सी.एफ.सी. फार पैकेजिंग, डिजाईन एण्ड लेबिलिंग, मिर्जापुर, टूल रूम एण्ड टेस्टिंग लेबोरेट्री, कानपुर, किसान सेल फार इसेन्शियल ऑयल प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिंग, कन्नौज, सी.एफ.सी. फार पैकेजिंग, डिजाईन एण्ड लेबिलिंग, कानपुर, सी.एफ.सी. फार मार्बल क्राफ्ट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, आगरा, सी.एफ.सी. फार यार्न डाईंग एण्ड प्रोसेसिंग, गोरखपुर, सी.एफ.सी. फार ग्लास इण्डस्ट्रीज, अमरोहा, सी.एफ.सी. फार वूवेन एण्ड नान वूवेन पैकेजिंग,डिजाईनिंग एण्ड लेबिलिंग,बरेली, सी.एफ.सी. फार जरी आर्ट बेस्ड लेदर प्रोडक्ट्स, बरेली, सी.एफ.सी. फार सिरेमिक एण्ड ओपल ग्लास टेबल वेयर इण्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद, सी.एफ.सी. फार डिजाईन डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग एण्ड प्रोसेसिंग, वाराणसी, सी.एफ.सी. फार ग्लास आर्ट वेयर (सिंगल एण्ड टू प्लाई ग्लास फर्नेस), फिरोजाबाद, सी.एफ.सी. फार ग्लास एक्सपोर्ट हैण्डीक्राफ्ट एण्ड डिजाईनर पैकेजिंग, फिरोजाबाद की परियोजनायें सम्मिलित हैं। जिनकी कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग रू0 183 करोड़ है।

3- क्रियान्वयन हेतु चिन्हित की गयी निर्यातपरक अवस्थापना के विकास, संचालन, प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन हेतु पात्र क्रियान्वयन संस्थायें निम्न होगी :-

(1)- केन्द्रीय/राज्य सरकार

(2)- केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक उपक्रम

(3)- केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य एजेन्सियां

(4)- निर्यात संवर्धन परिषदें/कमोडिटी बोर्ड

(5)- भारत सरकार के एक्जिम पालिसी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एपेक्स ट्रेड बॉडी

(6)- निर्यात समर्पित व्यक्तिगत उत्पादन/सेवा इकाईयां

4- योजनान्तर्गत कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा 30 प्रतिशत की धनराशि का विनियोजन एस.पी.वी. द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपयुक्त एवं भार रहित भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व एस.पी.वी. का होगा। परियोजना लागत में भूमि की लागत का अंश शामिल नहीं होगा। परियोजना लागत में केवल स्थिर पूंजी विनियोजन हेतु किये गये व्यय ही अनुमन्य होंगे।

5- उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इस निमित्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ नोडल एजेन्सी होगी। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं/क्रियान्वयन इकाईयों के चयन हेतु सामान्यतः वही प्राविधान अंगीकृत किये जायेगें, जो प्रदेश में एसाइड परियोजनाओं हेतु लागू थे।

6- स्वीकृति की प्रक्रिया:-

(1) परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अन्तर्गत बास्केट में चिन्हित की गयी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास एवं प्रबन्धन हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के आमन्त्रण हेतु विज्ञापन प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा तथा ब्यूरो की वेबसाईट पर व्यापक प्रचार हेतु अपलोड किया जायेगा।

(2) क्रियान्वयन इकाइयों/प्रस्तावक संस्थाओं के चयन हेतु अंक निम्नवत निर्धारित योजना के अनुसार प्रदान किये जायेगें :-

Sl.No	Description विवरण	Max Marks अधिकतम अंक
1	निर्यात वृद्धि पर सम्भावित प्रभाव **(Likely Impact on Export growth)**	50
2	भार रहित पर्याप्त भूमि की उपलब्धता **(Availability of encumbrance free, sufficient Land)**	25
3	परियोजना का स्वरूप : **Category of Projects (whether the project is) :** 1. अनुसंधान एवं विकास, टेस्टिंग लैब, कौशल विकास, डिजाईन स्टूडियो आदि R&D, Testing Lab, Skill Development, Design Studio etc. 2. अर्ध-विकासोन्मुखी सी.एफ.सी./हार्डवेयर पार्क, एक्सपो मार्ट (Quasi Developmental CFC/Hardware Park/Expo Mart) 3. व्यवसायोन्मुखी सी.एफ.सी. आदि (More commercial venture, CFC etc.)	15
4	क्षेत्र विशेष में परियोजना की आवश्यकता (जबकि क्षेत्र में समान उद्देश्य से सम्बन्धित परियोजना/सुविधायें न हों)**(Need of the Project in the region)** **(Whether there is no similar project/facility in the region)**	10
	Total Marks (कुल योग)	100

7- अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु क्रियान्वयन इकाइयों/प्रस्तावक संस्थाओं का परीक्षण/स्क्रीनिंग निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा किया जायेगा। उपर्युक्तानुसार निर्धारित की गई अंक योजना के अनुसार प्रदान किये गये अंकों के आधार पर अधिकतम अंक पाने वाली संस्था की संस्तुति की जायेगी।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की संस्तुति के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (SLEPC) द्वारा प्रस्ताव पर विचारण/अनुमोदन किया जायेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एस.एल.ई.पी.सी. में औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग,विकास आयुक्त एस.ई.जेड./ई.पी.जेड., नोएडा, वाणिज्य मंत्रालय,भारत सरकार के प्रतिनिधि, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार उत्तरी क्षेत्र, योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग एवं निर्यात आयुक्त उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव हैं। एस.एल.ई.पी.सी. से अनुमोदनोपरान्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

8- प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 3 माह के अन्दर क्रियान्वयन इकाई द्वारा परियोजना की **Detailed Project Report** उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। डिटैल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं, प्रस्तावित की जा रही अवस्थापना सुविधाओं, इन अवस्थापना सुविधाओं से निर्यात वृद्वि, आय एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का तथ्यात्मक एवं तार्किक विश्लेषण, लाभ-लागत विश्लेषण तथा सम्भाव्यता परीक्षण का विधिवत आकलन निरूपित होगा। योजनान्तर्गत प्रस्तावित की जा रही परियोजना को **State of the Art** की संकल्पना के साथ विकसित किया जायेगा तथा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित की जाने वाली प्लान्ट मशीनरी तथा क्रियाकलाप अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होने चाहिये।

9- उक्त समिति की संस्तुति के उपरान्त प्राप्त डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 से मूल्यांकन कराकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी। डी0पी0आर0 के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा कि परियोजना में शामिल अमुक घटक, जिसकी अनुमानित लागत रू0..... है, आर्थिक सहायता किसी अन्य स्रोत से प्राप्त है/प्राप्त किया जाना विचाराधीन है, अतः उसे प्रस्तुत डी0पी0आर0 में शामिल नहीं किया गया है।

10- योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य प्राविधान निम्नवत् है :-

(1) परियोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व क्रियान्वयन इकाई व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के मध्य निर्धारित प्रारुप पर एक समझौता ज्ञापन **MOU** हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) परियोजना की क्रियान्वयन इकाई अशासकीय संस्था होने की दशा में शासन द्वारा सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग को परियोजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अवमुक्त धनराशि के सदुपयोग, अपेक्षित गुणवत्ता, परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी होगा। परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि नोडल अधिकारी के माध्यम से ही अवमुक्त की जायेगी।

(3) निजी विकास कर्ताओं से सम्बन्धित परियेाजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त निजी अंश दान के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि का विनियोग कर लिये जाने के पश्चात् ही योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की गयी धनराशि की कम से कम 75 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोग कर लिये जाने के बाद ही परियोजना की अनुवर्ती किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(5) परियोजना की स्थापना का कार्य परियोजना की डी.पी.आर. में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा जिसकी अधिकतम अवधि वित्तीय स्वीकृति से दो वर्ष होगी। यदि अधिकतम अवधि के बाद

परियोजना लम्बित रहती है तो उसके फलस्वरूप लागत में होने वाली वृद्वि का शतप्रतिशत वहन एस0पी0वी0/क्रियान्वयन इकाई द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(6) सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग के बदले उपयोग कर्ताओं से वसूले जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा ताकि राज्य सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के समानुपातिक लाभ उपयोग कर्ताओं को प्राप्त हो सके।

(7) प्रयोक्ता शुल्क के निर्धारण अनुमोदन शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

(8) ऐसी परियोजनायें अथवा परियोजनाओं में शामिल ऐसे घटक (Component) जिनको केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य परियोजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है, का इस योजनान्तर्गत वित्त पोषण नहीं किया जायेगा।

11- "उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना" के अन्तर्गत किसी प्राविधान का संशोधन परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी में निहित होगा ।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-366(1)/18-4-2016 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 ।
8. समस्त उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र।
9. गोपन अनुभाग-1
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।